(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3596–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–09–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 5224/अपील/2013–14

1–महेश पुत्र श्री भगवान वर्मा
2–योगेश पुत्र श्री भगवान वर्मा
सचिव जय श्री बालाजी शिक्षा समिति,
राजपुर निवासीगण राजपुर तहसील राजपुर
जिला बडवानी म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा पटवारी
राजपुर जिला बडवानी
2–जयदीप कुमार पुत्र श्री शतानंद गुप्ता
निवासी राजपुर तहसील राजपुर जिला बडवानी .....अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 जयदीप द्वारा तहसीलदार राजपुर के समक्ष संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया गया है । तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से जॉच कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त

किया गया । पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 115 रकबा 1.668 हैक्टेयर पैकि रकबा 0.008 हेक्टैयर पर तार फेंसिंग कर व पौधे लगाकर पास में नलकूप खोदकर अतिक्रमम किया गया है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–9–12 को आदेश पारित कर अतिक्रमित भूमि से आवेदकगण को तत्काल बेदखल किया जाने तथा वृक्षों का राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–14 को आदेश पारित अपील आंशिक रूप से स्वीकार की कर आवेदकगण को अतिक्रमण का दोषी मानते हुये रुपये 1,04,000/– अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा शासकीय भूमि पर स्थित नलकूप भी राजसात किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–9–14 को आदेश पारित अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण अनावेदक कमांक 2 की शिकायत के आधार पर प्रारंभ किया गया है और उसके द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था । अतः ऐसे अप्रचलनशील अपील में जो आदेश पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित आदेश है जो प्रथमदृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार रहित है क्योंकि उनके द्वारा संहिता की धारा 248 के मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विचाराधीन थी न कि मूल न्यायालय का प्रकरण इस अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण को अतिकामक सिद्ध नहीं किया गया है और अतिकामक सिद्ध करने का भार शासन पर होता है किन्तु वर्तमान प्रकरण में शासन की ओर से केवल पटवारी ग्राम के कथन हुये हैं और उनके

कथन में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अवैधानिक आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अतिक्रमण सिद्ध करने के लिये विधिवत् सीमांकन ही नहीं किया गया है क्योंकि आवेदकगण अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर वैध रूप से आधिपत्यधारी है । उपरोक्त समस्त कार्यवाही पटवारी के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल आदेश की तरह आदेश पारित कर 1,04000/– रुपये का अर्थदण्ड का आदेश दिया गया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । अंत में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वैधानिक एवं उचित बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमां 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा शासकीय भूमि पर तार फेन्सिग, नलकूल खोदकर और पौधे लगाकर अतिक्रमण किया गया है इसलिये तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु आवेदक पर अर्थदण्ड संबधित एवं नलकूप हटाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया । इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 248(1) के अन्तर्गत विचार कर अपील में अर्थदण्ड आरोपित करते हुये नलकूप राजसात करने का आदेश दिया गया और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती

निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2005 आरएन 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 50 – निचले दो न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष – पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर